

क्रमांक: एफ-3(ख)/एस-513/88/अलेसे-11 264-72

दिनांक- 19.5.18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.07.2017 द्वारा श्री सीताराम शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कार्यालय अतिरिक्त महाधिवक्ता, विधि विभाग, जयपुर-25929 से कार्मिक (ख-3) विभाग, सचिवालय, जयपुर-1000012 में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री शर्मा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री सीताराम शर्मा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 19.5.18 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री शर्मा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री सीताराम शर्मा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3(ख)/एस-513/88/अलेसे-11 264-72

दिनांक- 19.5.18

प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त महाधिवक्ता, विधि विभाग, जयपुर-25929
2. कार्मिक (ख-3) विभाग, सचिवालय, जयपुर-1000012
3. श्री सीताराम शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय अतिरिक्त महाधिवक्ता, विधि विभाग, जयपुर-25929

4. उपनिदेशक कम्प्यूटर शाखा /

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

क्रमांक: एफ-3(ख)/एस-29/2008/अलेसे-II 264-72

दिनांक- 15.5.18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.07.2017 द्वारा श्री सुभाष चन्द मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पंचायती राज विभाग, कुम्भलगढ़, राजसमंद-2166 से विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पंचायती राज विभाग, विराटनगर, जयपुर-1989 में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मीणा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री सुभाष चन्द मीणा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 15.5.18 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री मीणा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp-ta-rj@nic.in /दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री सुभाष चन्द मीणा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3(ख)/एस-29/2008/अलेसे-II 264-72

दिनांक- 15.5.18

प्रतिलिपि:-

1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पंचायती राज विभाग, कुम्भलगढ़, राजसमंद-2166
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पंचायती राज विभाग, विराटनगर, जयपुर-1989
3. श्री सुभाष चन्द मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पंचायती राज विभाग, कुम्भलगढ़, राजसमंद-2166
4. उपनिदेशक कम्प्यूटर शाखा।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर- 302015
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3(ख)/एस-149/92/अलेसे-II 264-72

दिनांक- 15.5.18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.07.2017 द्वारा श्री श्रीकिशन पुरोहित, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कार्यालय प्राचार्य, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, चिकित्सा शिक्षा विभाग, बीकानेर से बाल विकास परियोजना अधिकारी, (एन जी ओ) समेकित बाल विकास सेवाएँ, कोलायत, बीकानेर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री पुरोहित आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री श्रीकिशन पुरोहित को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 15.5.18 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री पुरोहित नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री श्रीकिशन पुरोहित को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3(ख)/एस-149/92/अलेसे-II 264-72

दिनांक- 15.5.18

प्रतिलिपि:-

1. प्राचार्य, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, चिकित्सा शिक्षा विभाग, बीकानेर।
2. बाल विकास परियोजना अधिकारी, (एन जी ओ) समेकित बाल विकास सेवाएँ, कोलायत, बीकानेर।
3. श्री श्रीकिशन पुरोहित, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय प्राचार्य, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, चिकित्सा शिक्षा विभाग, बीकानेर।

4. उपनिदेशक कम्प्यूटर शाखा

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)

क्रमांक: एफ-3(ख)/एस-89/92आर/अलेसे-11 264-72

दिनांक- 15.5.18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.07.2017 द्वारा श्री सागरमल सामोता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कार्यालय सचिव, जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्ध मण्डल, जयपुर-13352 से सचिव, इन्दिरा गांधी नहर बोर्ड, जयपुर-559 में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सामोता आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री सागरमल सामोता को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 15.5.18 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री सामोता नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp-ta-rj@nic.in /दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री सागरमल सामोता को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3(ख)/एस-89/92आर/अलेसे-11 264-72

दिनांक- 15.5.18

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्ध मण्डल, जयपुर-13352
2. सचिव, इन्दिरा गांधी नहर बोर्ड, जयपुर-559
3. श्री सागरमल सामोता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय सचिव, जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्ध मण्डल, जयपुर-13352
4. उपनिदेशक कम्प्यूटर शाखा

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

क्रमांक: एफ-3(ख)/एस-192/88/अलेसे-11 264-72

दिनांक- 15.5.18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.07.2017 द्वारा श्री सुभाष चन्द शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कार्यालय निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, जयपुर-968 से खनि अभियंता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जयपुर-4697 में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री शर्मा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री सुभाष चन्द शर्मा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 15.5.18 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री शर्मा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp-ta-rj@nic.in /दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री सुभाष चन्द शर्मा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

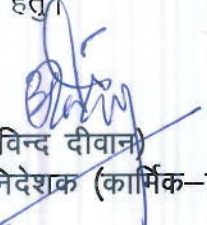

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3(ख)/एस-192/88/अलेसे-11 264-72

दिनांक- 15.5.18

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, जयपुर-968
2. खनि अभियंता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जयपुर-4697
3. श्री सुभाष चन्द शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, जयपुर-968
4. उपनिदेशक (ए.सी.पी), कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर- 302015
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3(ख)/एस-136/90/अलेसे-II 264-72

दिनांक- 15.5.17

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.07.2017 द्वारा श्री श्याम सुन्दर सोनी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कार्यालय ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग (प्रारम्भिक), फतेहपुर, सीकर-1600 से उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, फतेहपुर, सीकर-6681 में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सोनी आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री श्याम सुन्दर सोनी को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 15.5.18 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री सोनी नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp-ta-rj@nic.in /दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री श्याम सुन्दर सोनी को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3(ख)/एस-136/90/अलेसे-II 264-72

दिनांक- 15.5.18

प्रतिलिपि:-

1. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग (प्रारम्भिक), फतेहपुर, सीकर-1600
2. उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, फतेहपुर, सीकर-6681
3. श्री श्याम सुन्दर सोनी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग (प्रारम्भिक), फतेहपुर, सीकर-1600
4. उपनिदेशक कम्प्यूटर शाखा


(अरविन्द दीक्रान)
अतिरिक्त निदेशक (कर्मिक-II)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर- 302015
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3(ख)/एस-डीजीएस/अलेसे-11 264-72

दिनांक- 15.5.18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.07.2017 द्वारा श्री संजय सोनी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कार्यालय परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर-1170 से आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर-363 में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सोनी आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री संजय सोनी को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 15.5.18 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री सोनी नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री संजय सोनी को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3(ख)/एस-डीजीएस/अलेसे-11 264-72

दिनांक- 15.5.18

प्रतिलिपि:-

1. परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर-1170
2. आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर-363
3. श्री संजय सोनी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर-1170

4. उपनिदेशक कम्प्यूटर शाखा

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर- 302015
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3(ख)/एस-424/94/अलेसे-11 264-72

दिनांक- 15.5.18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.07.2017 द्वारा श्री सुरेश कुमार मालवीय, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, जोधपुर-1138 से राजस्थान न्यायिक अकादमी, विधि विभाग, जोधपुर-24853 में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मालवीय आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री सुरेश कुमार मालवीय को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 15.5.18 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री मालवीय नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp-ta-rj@nic.in /दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री सुरेश कुमार मालवीय को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3(ख)/एस-424/94/अलेसे-11 264-72

दिनांक- 15.5.18

प्रतिलिपि:-

1. वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, जोधपुर।
2. राजस्थान न्यायिक अकादमी, विधि विभाग, जोधपुर।
3. श्री सुरेश कुमार मालवीय, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, जोधपुर।

4. उपनिदेशक कम्प्यूटर शाखा


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)